रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2012/माघ 5, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 264
No. 14] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2012/MAGHA 5, 1933 [N.C.T.D. No. 264

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उद्योग विभाग

(डी.एस.आई.आई.डी.सी.)

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जनवरी, 2012

सं. फा. डी.एस.आई.आई.डी.सी./पीडी(ओएण्डएम)नोटिफिकेशन/पीपीपी/11/82. —जैसा कि दिल्ली औद्योगिक विकास, प्रचालन और अनुरक्षण अधिनियम, 2010 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित है) के अन्तर्गत दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (इसके बाद डी.एस.आई.आई.डी.सी. के रूप में संदर्भित है) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक एस्टेटों की ठीक ढ़ंग से स्थापना सुनिश्चित करने हेतु तथा औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक एस्टेटों के रखरखाव एवं प्रचालन की सहायता हेतु सशक्त किया गया है एवं डी.एस.आई.आई.डी.सी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित औद्योगिक एस्टेटों के इनफ्रास्ट्रक्चर में सुधार तथा इनके प्रबंधन के लिए एक स्थाई ढांचा विकसित करना चाहती है।

और जबकि डी.एस.आई.आई.डी.सी: ने दिनांक 19-07-2011 को मैसर्स पी.एन.सी. दिल्ली इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड (सुविधा प्रदाता) तथा पी.एन.सी. इन्फ्राटेक, लिमिटेड (चयनित बोली दाता) जिनका पंजीकृत कार्यालय-डी-5/7 वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 में है, के साथ नरेला औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास हेतु तथा मैसर्स बवाना इन्फ्रा डेवेलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (सुविधा प्रदाता) तथा अभयोदय हाउसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और ज्योति बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गठित कन्सॉरशियम (चयनित बोली दाता) जिनका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय मंजिल, अभयोदय टावर, 2-मीराबाई मार्ग, लखनऊ (उ.प्र.) में है (सुविधा प्रदाता) के साथ बवाना औद्योगिक क्षेत्र (इसके बाद उक्त औद्योगिक एस्टेट के रूप में संदर्भित है) के पुनर्विकास हेतु एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है जिसके अन्तर्गत संबंधित औद्योगिक एस्टेट में प्रोजेक्ट सुविधाएं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डिजाइन, इन्जीनियरिंग, फाइनेन्स, पुनर्विकास, पुनर्स्थापन, प्रचालन और रख-रखाव आते हैं ।

अत: अब अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डी.एस.आई.आई.डी.सी. निर्माण, रख-रखाव, प्रबंधन तथा प्रचालन संबंधित प्रोजेक्ट सुविधाएं पर हुए खर्चे के संबंध में अधिसूचित करती है कि निश्चित तिथि से विनिर्दिष्ट दर से दर्शाए टैरिफ/उपभोक्ता मूल्य लगाएगी व वसूल करेगी तथा इसके लिए सुविधा प्रदाता को एन्युटि कमेन्समेन्ट तिथि से अधिनियम तथा सुविधा अनुबन्ध के अंतर्गत प्रावधानों

के अनुसार उक्त उपभोक्ता मूल्य/टैरिफ वसूल करने के लिए अधिकृत करती है।

जो शब्द इस अधिसूचना में प्रयोग हुए हैं, पर उनकी परिभाषा नहीं दी गई है, उनका अर्थ सुविधा अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट होगा।

इसके बारे में निम्नलिखित आरोपित किए और संग्रह किए गए टैरिफ/उपभोक्ता प्रभार तथा मूल्य वृद्धि दर देय होगी और निम्नलिखित पद्धति से देय होगी:—

क्र.सं.	सेक्टर	टैरिफ	मूल्य वृद्धि	दिनांक से प्रभावी
1.	देख-रेख/सेवा प्रभार	10/- रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति माह प्रति युनिट प्लॉट एरिया, सभी प्लॉट जो अलॉटमेंट तथा बोली या अन्य किसी माध्यम से दिए गए हैं, पर लगाया जाएगा।	आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कोस्ट इनफ्लेशन इनडेक्स से जोड़ा जाएगा ।	*एन्यूटि कमेन्समेन्ट दिनांक

*एन्यूटि कमेन्समेन्ट दिनांक अथवा सी.ओ.डी. का अभिप्राय वह तिथि है जिस दिन सभी मैन्डेटरी कैपिटल प्रोजेक्ट्स के पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र अनुबन्ध के अनुसार जारी किया गया है।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
के आदेश अथवा नाम पर,

सी. अरविन्द, संयुक्त आयुक्त (उद्योग)/महा-प्रबन्धक (डी.एस.आई.आई.डी.सी.)

DEPARTMENT OF INDUSTRIES

(DSIIDC)

NOTIFICATION

Delhi, the 25th January, 2012

F. No.DSIIDC/PD(O&M) NOTIFICATION/PPP/11/82.—Whereas, under the Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance Act, 2010 (hereinafter referred to as the "Act"), the Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited (hereinafter referred to as "DSIIDC") is empowered for securing orderly establishment of, and assistance in maintenance and operation of industrial areas and industrial estates in the National Capital Territory of Delhi and DSIIDC intends to upgrade the infrastructure in the existing industrial estates in NCT Delhi and develop a sustainable framework for industrial estate management.

And whereas DSIIDC has entered into a concession agreement dated 19-7-2011 with M/s. PNC Delhi Industrial Infra Private Limited ("Concessionaire") and PNC Infratech Ltd. ("selected bidder") having its registered office at D-5/7 Vasant Vihar, New Delhi- 110 057 for redevelopment of Narela Industrial Area and dated 20-7-2011 with M/s. Bawana Infra Development Private Limited ("Concessionaire") and consortium of Abhyudaya Housing and Construction Private Limited and Jyoti Buildtech Private Limited ("selected bidder") having its registered office at 2nd Floor, Abhyudaya Tower, 2 Meerabai Marg, Lucknow (U.P.) (hereinafter referred to as "Concessionaire") for redevelopment of Bawana Industrial Area (hereinafter referred to as the said "Industrial Estate") which shall include inter alia, design, engineering, financing, re-development, rehabilitation, operation and maintenance of the Project Facilities within the relevant Industrial Estate.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Act, DSIIDC, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the Project Facilities, notifies that there shall be levied and collected user charges/tariff from the effective date (mentioned below), at the rates specified herein and authorizes the Concessionaire to collect the said user charges/tariff on and from the Annuity Commencement Date, subject to and in accordance with the said Act and the provisions of the Concession Agreement.

The words used but not defined in this notice shall have the meaning specified in the Concession Agreement.

The tariff/user charges and escalation rates in respect thereof levied and collected hereunder shall be due and payable in the following manner:

Sl. No.	Sector	Tariff	Escalation	Effective from Date
1.	Maintenance/ Service Charges	Rs. 10 per sqm. per month per unit on plot area and levied on all plots disposed off by allotment/auction or any other mode.	Linked to Cost Inflation Index as per IT Act.	* Annuity Commencement Date (COD)

* "Annuity Commencement Date" or "COD" means the date on which Completion Certificate in relation to all Mandatory Capital Projects is issued in accordance with this Agreement.

By Order and on behalf of Delhi State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited,

C. ARVIND, Jt. Commissioner of Inds./General Manager (DSIIDC)